an>

Title: Need to enhance the construction rate of water storage tanks for irrigation purpose under Rashtriya Krishi Vikas Yojana in romote and desert areas.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में पानी संचयन हेतु डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। उसमें वर्ष 2013-14 में यह राशि डिग्गी निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत यानि 3.00 लाख रूपए दी जाती थी। वर्तमान में सरकार द्वारा तय ईकाई लागत का डिग्गी पर 50 प्रतिशत या अधिकतम मात्र 2.00 लाख रूपए एवं जल हॉज निर्माण पर मात्र 75000 रूपये कर दिये गये हैं, जो कि बहुत कम है। वास्तविक ईकाई लागत ज्यादा आती है जबकि सरकार ने जो एस्टीमेट तय किया है वह वास्तविक लागत से बहुत ही कम है। जहाँ पानी, सड़क परिवहन की सुविधा वगैरह है, वहां ईकाई लागत कम आती है लेकिन दूर-दराज मरूस्थलीय इलाकों में सरकार द्वारा तय ईकाई लागत पर डिग्गी या जल हॉज निर्माण करना बिल्कुल सम्भव नहीं है। दूर-दराज के रेगिस्तान इलाकों में 20 लाख लीटर क्षमता वाली डिग्गी एवं जल हॉज निर्माण के लिए माल परिवहन सहित लगभग 6.00 लाख रूपये से कम लागत नहीं आती है। अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी किसानों को डिग्गी निर्माण पर कम से कम 3.00 लाख रूपए एवं जल हॉज निर्माण पर 2.00 लाख रूपये अनुदान राशि दिलवाने की कृपा करें।